



-प्रेस नोट-

दिनांक - 11.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी व स्वाट/सर्विलांस की सयुक्त पुलिस टीम द्वारा लोगो के साथ धोखाधडी कर नकली सोने के सिक्को को असली बता, बेच कर ठगी करने वाले गिरोह के 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 577 नकली सिक्के, मोबाइल, नकदी व अन्य सामग्री बरामद।

● ठगी कर अर्जित किये गये 4,50,000/- लाख रूपयों सहित अभियुक्तगण के खातें कराये गये फ्रीज

अवगत कराना है कि वादी श्री संजय सैनी पुत्र रतेन सैनी निवासी मो0 हीरालाल मकदूमपुर रोड कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ ने दिनांक 07.07.2024 को हाजिर थाना आकर प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नकली सोने के सिक्को को असली बताकर 25 लाख रुपये ले लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 10.07.2024 को वादी श्री सिराजुद्दीन पुत्र असलम निवासी तुगलपुर कमहेडा थाना पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नकली सोने के सिक्को को असली बताकर 05 लाख रुपये ले लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 08 अभियुक्तगण:- 1. मृत्युंजय पुत्र साधन बाग्दी नि0 भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल, 2. सोमनाथ दत्त पुत्र बुद्धदेव दत्त नि0 भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल को खुर्द पुलिया के पास से तथा 3. किरन मिद्धा पुत्र औलीउल्ला मिद्धा निवासी ग्राम हथिया थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल, 4. शेख रफीकुल ईस्लाम पुत्र शेख मुश्तफा निवासी धोनडांगा थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगा, 5. इस्माईल शेख उर्फ सागर पुत्र मुकीत शेख निवासी बद्दीनाथपुर थाना बुडवा जिला मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल, 6. सौरभ सैनी पुत्र सुरेश मिस्त्री निवासी इन्द्रा कालोनी पेपरमिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर, 7. राकेश पुत्र नगीना सिंह नि0 हंसनपुर चुंगी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर, 8. शेख खैरुल पुत्र अब्दुल सालिक नि0 भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल को खुर्द गांव के रास्ते पर खेत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 557 नकली सिक्के पीली धातु के, 06 एण्ड्रायड व 01 की-पैड कुल, 91500/- रुपये नकद, एक वोटर आईडी कार्ड व एक आधार कार्ड, दो अंगूठी पीली धातु बरामद की गयी एवं ठगी कर अर्जित किये गये 4,50,000/- रुपये अभियुक्तगण के बैंक खातों में फ्रीज करवाये गये हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा एक स्वर में बताया गया कि हम लोग षडयन्त्र रचकर लोगो के साथ धोखाधडी करके पहले लोगो को एक सोने का असली सिक्का दे देते है तथा लोगो को सोने के सिक्को को अपनी कोई मजबूरी बताकर सिक्को को सस्ते दाम पर बेचने का लालच देते है तथा नकली सिक्को को असली बताकर बेच देते है। हम एक घटना के बाद अपनी जगह बदल देते है। इसलिए आज तक हमे कोई पकड़ नहीं पाया था। अधिक पूछताछ में बताया कि हम लोग

पिछले कई वर्षों से सहारनपुर निवासी सौरभ एवं राकेश के घर रहते हैं एवं सौरभ व राकेश भी हमारे साथ लोगो से सम्पर्क कराने व सिक्को बिकवाने के अपराध में सम्मिलित हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते:-

1. मृत्युंजय पुत्र साधन बाग्दी नि० भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल
2. सोमनाथ दत्त पुत्र बुद्धदेव दत्त नि० भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल
3. किरन मिद्धा पुत्र औलीउल्ला मिद्धा निवासी ग्राम हथिया थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल
4. शेख रफीकुल ईस्लाम पुत्र शेख मुश्तफा निवासी धोनडांगा थाना लाभपुर जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल
5. इस्माईल शेख उर्फ सागर पुत्र मुकीत शेख निवासी बद्दीनाथपुर थाना बुडवा जिला मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल
6. सौरभ सैनी पुत्र सुरेश मिस्त्री निवासी इन्द्रा कालोनी पेपरमिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. राकेश पुत्र नगीना सिंह नि० हंसनपुर चुंगी दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. शेख खैरूल पुत्र अब्दुल सालिक नि० भँवरकुल थाना सैथिया जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल

बरामदगी:-

- 557 नकली सिक्के पीली धातु के
- 06 एण्ड्रायड फोन, 01 की-पैड फोन
- 91500/- रुपये नकद, 02 अंगूठी पीली धातु
- 01 वोटर आईडी कार्ड व एक आधार कार्ड
- 4,50,000/- लाख रूपयें अभियुक्तगण के बैंक खातों में कराये गये फ्रीज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
2. निरीक्षक संजीव कुमार, प्रभारी स्वाट टीम मय स्वाट टीम, सहारनपुर ।
3. उप निरी० जावेद, प्रभारी सर्विलांस सैल, मय सर्विलांस टीम सहारनपुर ।
4. उप निरी० विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
5. उप निरी० विजय सिंह, थाना चिलकाना, सहारनपुर ।
6. उ०नि० सुबोध कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर ।
7. उ०नि० ब्रहम सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर एवं थाना जनकपुरी पर नियुक्त अन्य मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया

अवगत कराना है कि दि० 20.04.2024 को वादिया श्रीमती प्रीति पत्नी प्रदीप नि० ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभि० सोनी पुत्र गिरिराज 2. विजय पुत्र शिवलाल 3. लखपति पुत्र शिवलाल 4. रामकुमार पुत्र ओमपाल 5. संजय पुत्र रफल सिंह 6. अमन पुत्र सुरेन्द्र 7. अर्जुन पुत्र सुरेन्द्र 8. मोनू पुत्र गिरिराज नि० गण ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर द्वारा वादिया व वादिया के पति प्रदीप व पुत्र गौरव के साथ लाठी डण्डो व सरिया, बिसौल्ली कुल्हाडी से लैस होकर वादी के घर में घुस कर जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व गौरव को उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु होने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु०अ०सं० 116/24 धारा 147/148/149/452/302/307/34 के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त मोनू पुत्र गिरिराज नि० ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को चुन्हेटी अन्डरपास पास से गिरफ्तार किया गया। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 323/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ- अभियुक्त मोनू ने पूछताछ पर बताया कि पिछले साल 21 फरवरी 2023 को गौरव व गौरव का जीजा नितिन उर्फ निक्की व गौरव के परिवार के लोगो ने हमारे पारिवारिक भाई लोकेश पुत्र ओमपाल की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए हम लोग दिनांक 20.04.2024 को अपने घर में मैंने व मेरे भाई मोनू व लोकेश, संजय, रामकुमार, लखपत, अमन व अर्जुन ने गौरव को मारने की योजना बना रहे थे। तभी गौरव का पिता प्रदीप हमारे पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा की जो हो गया सो हो गया मेरा दामाद अभी भी जेल में है, हमें माफ कर दो। आप चाहो तो उसे जेल से निकलवा सकते हो, फैसला कर लो हम लोगो ने कहा हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते हम तेरे लडके गौरव को मारने के बाद फैसला कर लेंगे। फिर हमने प्रदीप को अपने घर से जाने के लिए कहा इसके बाद हम सभी ने योजना के तहत प्रदीप के घर में घुसकर गौरव पर जानलेवा कर प्रदीप को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। जो बात सही वह मैंने आपको सही सही बता दी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोनू पुत्र गिरिराज नि० ग्राम सहजवा थाना रामपुर मनि० जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

2. उ०नि० श्री नितिन कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

3. है०का० 530 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त अंकुर गुप्ता पुत्र कुलदीप गुप्ता नि0 403 न्यू आवास विकास कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद स0 1040/2024 धारा 125(3) में आवास विकास कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकुर गुप्ता पुत्र कुलदीप गुप्ता निवासी 403 न्यू आवास विकास कालोनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. है0का0 1007 संदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2304 प्रबल थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 11.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त (जिला बदर अपराधी) को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 488.30 ग्राम नाजायज चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 जिला बदर अपराधी अंकुर वालिया पुत्र रणधोल नि0 गलीरा रविदास मन्दिर के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को आवास विकास से तहारपुर वाले रोड की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 488.30 ग्राम नाजायज चरस बरामदा बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पूर्व से 06 माह के लिए जिला बदर है जिस पर दिनांक 13.03.2024 को मु0अ0सं0 116/2024 धारा 10 गुन्डा गर्दी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं चरस गंगोह से खरीदकर लाया हूँ उस व्यक्ति का नाम पता नहीं जानता हूँ मैं इस चरस को सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में होटल, ढाबो, गांव व शहर में नशा करने वाले व्यक्तियों को उचित दामों में बेचता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज मैं ग्राम ताहरपुर में यह नशीला पदार्थ बेचने के लिए बात करके आ रहा था और आप ने मुझे पकड़ लिया। मैं काफी समय से चरस बेच रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंकुर वालिया पुत्र रणधोल नि0 गलीरा रविदास मन्दिर के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त अंकुर वालिया का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 116/2024 धारा 10 गुन्डा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 133/2020 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 176/23 धारा 4/25 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 277/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 380/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

488.30 ग्राम अदद नाजायज चरस बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार स0पुर।
3. उ0नि0 जहांगीर थाना सदर बाजार स0पुर।
4. हे0 का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार स0पुर।
5. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार स0पुर।
6. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार स0पुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 11 -07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2024 को फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **अक्षय उर्फ प्रिंस पुत्र दुर्गाप्रसाद नि0 मौ0 पंजाबी बाग कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वारण्ट वाद सं0 1028/22 मु0अ0स0 231/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारन्टी को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अक्षय उर्फ प्रिंस पुत्र दुर्गाप्रसाद नि0 मौ0 पंजाबी बाग कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. का0 1805 नितिन शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर